न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

पीडीआर वसूली प्रकरण सं. 20/2023

प्रार्थी–	बनाम	अप्रार्थी–
अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग राउमा खण्ड बाड़मेर		मैसर्स बाड़मेर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कम्पनी बाड़मेर, गुरूद्वारे के सामने, स्टेशन रोड़ बाड़मर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 8 राजस्थान लोक अभियाचन वसूली अधिनियम, 1952

उपस्थिति :–
1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार उपस्थित।
2. श्री अमृतलाल जैन, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 07.01.2025

1. प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रार्थी ने दिनांक 13.02.2023 को राजस्थान लोक अभियाचन वसूली अधिनियम, 1952 की धारा 3 के तहत सर्टिफिकेट के लिये प्रार्थना–पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत कर अप्रार्थी से बकाया राशि 01,08,74,142/– रूपये की वसूली का अनुरोध किया है। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा एस.एल.पी. संख्या 4062/2020 में पारित निर्णय दिनांक 03.12.2019 के अनुसरण में अप्रार्थी मैसर्स बाड़मेर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कम्पनी बाड़मेर से राजस्थान लोक अभियाचन वसूली अधिनियम, 1952 की धारा 3(1)(2) के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र मे प्रस्तुत डिमाण्ड अनुसार अप्रार्थी से उक्त राशि वसूल कर दिलवाने की कार्यवाही करावें।
2. प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को ... नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा ... प्रकट कर निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत डिमाण्ड राशि का उचित आकलन ... बिना ही मूल राशि के साथ ही ब्याज की गणना कर धारा 3 का प्रमाण–पत्र जारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:34:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

किया गया है जो न्यायोचित नहीं हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों में मूल अवार्ड राशि के अतिरिक्त किसी प्रकार की ब्याज राशि वसूल करने का कहीं भी उल्लेख नहीं हैं। इस आधार पर मूल अवार्ड राशि 24,56,694/– रूपये ही वसूल योग्य हैं जो अप्रार्थी भुगतान करने हेतु सहमत हैं। इसके अतिरिक्त ब्याज राशि की गणना कर धारा 3 के तहत जारी किया गया प्रश्नगत प्रमाण–पत्र माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में निरस्त फरमाया जावें।

3. हमने विभागीय पैरोकार को सुना एवं प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी के बीच पैदा हुए विवाद के निपटारे हेतु अधीक्षण अभियन्ता, सावर्जनिक निर्माण विभाग जोधपुर को आदेश दिनांक 01.11.1993 द्वारा एकल माध्यस्थ नियुक्त किया गया। एकल माध्यस्थ द्वारा पंच निर्णय दिनांक 30.05.1997 मय रेकर्ड जिला न्यायाधीश बालोतरा को अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया गया। जिला न्यायालय बालोतरा से उक्त प्रकरण वास्ते सुनवाई अपर जिला न्यायाधीश बाड़मेर को स्थानान्तरित किये जाने पर दोनो पक्षों की सुनवाई उपरांत अपर जिला न्यायाधीश बाड़मेर द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.12.1998 पारित कर अप्रार्थी मैसर्स गोल्डन ट्रांसपोर्ट कम्पनी बाड़मेर के पक्ष में पंच निर्णय दिनांक 30.05.1997 को रूल ऑफ द कोर्ट बनाया जाकर प्रार्थी अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग राउमा खण्ड बाड़मेर के विपक्ष में डिक्री जारी कर राशि रूपये 12,52,525/– पर दिनांक 01.11.1993 से डिक्री अथवा रकम अदायगी तक जो भी पहले हो, का 18 प्रतिशत ब्याज दिलाया गया। इस निर्णय के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष एकल [illegible]/1999 प्रस्तुत की गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा निर्णय दिनांक 03.12.2019 द्वारा अप्रार्थी के दावा को काल बाधित मानते हुए सार्वजनिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:34:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

निर्माण विभाग की अपील को मंजूर कर अधीनस्थ अपर जिला न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को अपास्त किया गया। अप्रार्थी मैसर्स बाड़मेर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कम्पनी बाड़मेर ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के इस निर्णय से क्षुब्ध होकर एसएलपी सं. 4062/2020 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई उपरांत अप्रार्थी मैसर्स बाड़मेर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कम्पनी बाड़मेर की ओर से प्रस्तुत एस.एल.पी. को निस्तारित करते हुए निम्नानुसार आदेश पारित किया–

> *"After we have heard the learned counsel for the parties and going through the records with their assistance, we find no reason to interfere it the judgement impugned dated 03.12.2019. The respondents are at liberty to recover the amount which was made to the petitioner pursuant to the order dated 15.01.2001 and, in addition, it the respondents have made over any additional payment to the petitioner, they are at liberty to recover the same in accordance with law."*

इस निर्णय के अनुसरण में प्रार्थी अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राउमा खण्ड बाड़मेर द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान लोक अभियाचन वसूली अधिनियम, 1952 के तहत प्रकरण प्रस्तुत कर अप्रार्थी को भुगतान की गई राशि रूपये 24,56,694/– पर भुगतान की तिथी से मय ब्याज कुल राशि 01,08,74,142/– वसूल कराने का निवेदन किया हैं। अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा सर्वप्रथम तो राशि गणना पर आपत्ति प्रकट की गई हैं कि प्रार्थी द्वारा त्रुटिवश [illegible] राशि 14,56,694/– अंकन किया गया। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा प्रपत्र धारा 2 के प्रमाण–पत्र में कुल राशि 01,08,74,142/– अंकित की गई है जिसमें मूल राशि एवं ब्याज राशि को जोड़कर दर्शाया गया हैं। प्रार्थी द्वारा अपने पत्राचार दिनांक 10.01.2024

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:34:02 IST
Reason: SelfAttested
जिला कलक्टर
बाड़मेर

में राशि की जो फलावट प्रस्तुत की गई है, उसमें भी तीन चरणों में राशि क्रमशः 10,00,000/–, 7,00,676/– एवं 7,56,018/– उल्लेखित किया हैं, जिसका योग 24,56,694/– हो रहा है, ऐसे में अप्रार्थी की यह आपत्ति सारहीन होने से खारिज योग्य हैं तथा गणना में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से नये सिरे से धारा 3 का प्रमाण–पत्र एवं नोटिस जारी करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं। इस संबंध में प्रक्रियात्मक त्रुटि के फलस्वरूप कार्यवाही दूषित होने बाबत अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक निर्णय नजीर (1958) एआइआर (राज.) 17 की निर्णय नजीर इस प्रकरण पर लागू नहीं होती हैं। इसके अलावा अप्रार्थी के अधिवक्ता की द्वितीय आपत्ति यह हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपने किसी भी आदेश में ब्याज सहित राशि वसूल करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, ऐसे में ब्याज राशि के अलावा अप्रार्थी को भुगतान की गई राशि 24,56,694/– ही वसूल योग्य है जिसे अप्रार्थी पुर्नभुगतान हेतु सहमत हैं। इस सम्बन्ध में समस्त अभिलेखों एवं न्यायालय निर्णयों का अवलोकन करने से पाया जाता हैं कि अप्रार्थी के पक्ष में अपर जिला न्यायालय बाड़मेर के निर्णय एवं डिक्री की मूल एवार्ड राशि रूपये 12,52,525/– पर दिनांक 01.11.1993 से डिक्री अथवा रकम अदायगी तक जो भी पहले हो, का 18 प्रतिशत ब्याज जोड़कर अप्रार्थी को राशि रूपये 24,56,694/– का भुगतान किया गया हैं तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अप्रार्थी के दावे को कालबाधित मानते हुए अपास्त किया गया हैं, ऐसे में प्रार्थी द्वारा भुगतान की गई राशि भी नियमानुसार मय ब्याज वसूल योग्य हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी अपने निर्णय में निर्धारित किया हैं कि अप्रार्थी को भुगतान की गई राशि नियमानुसार वसूल की जा सकती हैं। लिहाजा अभिलेखों के अवलोकन से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र कुल राशि 01,08,74,142/– अप्रार्थी से वसूल करने का स्वीकार योग्य है।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:34:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी से वसूलनीय राशि रूपये 01,08,74,142/– अप्रार्थी से वसूल करने के आदेश दिये जाते है। पीडीआर एक्ट की धारा 3 के अनुसार लोक अभियाचन का सर्टिफिकेट जारी करने की दिनांक 14.02.2023 से लगाकर वसूली तक ब्याज एवं कोस्ट नियमानुसार अप्रार्थी से वसूल की जावें।
5. निर्णय आज दिनांक 07.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:34:02 IST
Reason: SelfAttested